संख्या– 1150 /69–1–12–14(92)/07

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

2– समस्त परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2012

विषय : जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा चयनित मलिन बस्तियों में कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या–282/09/छः/2005 (नर्म)–XI, दिनांक 09.05.2012 के माध्यम से सूडा/डूडा द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों पर लगाई गई रोक को समाप्त कर दिया गया है। तद्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सर्वप्रथम उन कार्यों को पूर्ण कराया जाय जो कार्य लाभार्थीपरक है तथा उन्हें पूर्ण किया जाना अपिरहार्य है। बी0एस0यू0पी0 तथा आई0एच0एस0डी0पी0 में "इन–सीटू" के पूर्व आवंटित मकानों पर प्राथमिकता से कार्य सुनिश्चित कराया जाय ताकि वर्षाकाल आरम्भ होने के पूर्व छत इत्यादि के कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिये जायें।

2– पूर्व में कराये जा रहे कार्यों के निरीक्षण आख्याओं के अवलोकन से यह परिलक्षित हुआ है कि कई जनपदों में निम्न कोटि की सामग्री प्रयोग की गयी तथा कार्य स्थल पर पायी गयी है एवं सीमेन्ट का मिश्रण अनुपात भी सही नही पाया गया। अतः इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत परियोजनाओं, जिनमें कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है अथवा ऐसी परियोजनाएं जिनमें कार्य प्रारम्भ किया जाना है, में निर्माण कार्य की सामग्री तथा कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार से भी निम्न कोटि की सामग्री का प्रयोग किये जाने पर कठोर कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित निर्माण कार्य में अधोमानक सामग्री का उपभोग पाये जाने पर सम्बन्धित कार्यदायी एजेन्सी को तत्काल काली सूची में डाला जाय तथा संलिपत अभियंत्रण संवर्ग के कार्मिकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1150 (1)/69–1–2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–

1– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया प्रकरण में अपने स्तर से भी प्रभावी अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
2– वेबमास्टर, सूडा, लखनऊ।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उपसचिव।